nt>

Title: Need to ensure payment of dues to the sugarcane growers in Uttar Pradesh.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप इस सदन में गन्ना किसानों की समस्या पर चर्चा करने के लिए बार-बार मौका देते हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके द्वारा बार-बार चर्चा कराए जाने के बावजूद इस सदन के अंदर मंत्रियों द्वारा गन्ना किसानों की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में स्पट आश्वासन देने के बाद भी आज तक गन्ना किसानों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले वर्ा 95 रुपये और 100 रुपये क्विंटल गन्ने का मूल्य दिया गया था। इस वर्ा उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को साढ़े 82 रुपये, 80 रुपये और 85 रुपये क्विंटल का भाव दिया गया, जब भारत सरकार ने एसएमपी में पांच रुपये की वृद्धि घोाित कर दी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 600 करोड़ रुपये से ऊपर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बाकी है लेकिन गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य अदायगी की दिशा में कोई पहल नहीं की गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार उन्हें नहीं है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश शुगर केन परचेज एक्ट के अंतर्गत अगर 14 दिन के अंदर चीनी मिल मालिक गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें बकाया राशि पर ब्याज देना होगा और 30 दिन के अंदर अगर वे बकाये का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने आज तक उत्तर प्रदेश सरकार को यह नहीं कहा है कि जब यूपी शुगर केन परचेज एक्ट के अंतर्गत इस तरह के प्रावधान हैं तो आपने उन चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी किया और उन चीनी मिल मालिकों से बकाये पर ब्याज क्यों नहीं दिलाया।

इतना ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि जो समझौता मूल्य होगा, वह समझौता मूल्य ही लागू होगा और उसमें स्पट तौर पर यह कहा गया कि एक ही गन्ना समिति के अंदर दो मूल्यों की अदायगी नहीं होगी। मान्यवर, मैं अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां सिसवा चीनी मिल है जो किसानों को गन्ने का 95 रुपये और 100 रुपये मूल्य दे रही है और दूसरी तरफ गड़ोरा चीनी मिल है जो किसानों को गन्ने का 81 रुपये 70 पैसे मूल्य दे रही है। इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पट उल्लंघन हो रहा है।

इतना ही नहीं जब यहां पर सदन के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन विधेयक लाया गया तो माननीय शरद यादव जी ने इसी सदन के अंदर कहा था कि जब तक संपूर्ण गन्ने की पिराई नहीं होगी तब तक चीनी मिलों को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे महाराजगंज जनपद में जो उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी चीनी मिल है उसने लाखों क्विंटल बिना गन्ने की पिराई के चीनी मिल को बंद कर देने का काम किया है। पडरौना, देवरिया और बस्ती के अंदर लाखों क्विंटल गन्ना खेतों में खड़ा है। मेरा कहना यह है कि माननीय शरद यादव जी ने जो सदन में स्पट आश्वासन दिया था कि बिना संपूर्ण गन्ने की पिराई के चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, उसके बाद अगर चीनी मिलें बंद हो गयीं तो निश्चित तौर पर माननीय शरद यादव जी ने सदन को गुमराह करने का काम किया है। उनके विरुद्ध आपको आसन से कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने गन्ना मूल्य निर्धारित किया, उसकी अदायगी नहीं की गयी और गत वर्ा जो गन्ना किसानों को दाम मिला उसमें उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 700 करोड़ रुपये के ऊपर का शोाण हुआ। माननीय कृाि मंत्री राजनाथ सिंह जी किसानों को लाली-पॉप देते हैं कि हम किसानों को 600 करोड़ रुपये का पैकेज देकर के देश के किसानों को राहत दिलाने का काम करेंगे। महाराट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसानों का यह कहना है कि एसडीएफ सिर्फ एक राज्य के किसानों का मामला नहीं है और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि एसडीएफ पूरे देश के किसानों का है। इसलिए इस तरह का लाली-पॉप देने की आदत यह सरकार छोड़े। आज वे प्रधान मंत्री जी को मुकुट देकर सुशोभित कर रहे हैं। किसानों की लाश पर राजनीति की जा रही है। â€¦ (व्यवधान) जो किसान अपने बकाया मूल्य के लिए अनशन कर रहा है, अपने बकाया मूल्य के लिए आत्महत्या कर रहा है, आज प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करके किसानों के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस तरह का क्रूर मजाक बंद किया जाए।â€¦ (व्यवधान) गन्ना किसानों को 95 रु. और 100रू. प्रति किवंटल मूल्य दिया जाये । गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। â€¦ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, बिहार के किसानों का भी बकाया है।â€¦ (व्यवधान) इसलिए इस मांग पर कार्रवाई होनी चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : हमें भी इस पर बोलने की इजाजत दी जाए।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, सदन में शांति बनाइये। एक के बाद एक व्यक्ति का नाम मैं ले सकता हूं। यहां इस विाय पर चर्चा नहीं है। अगर चर्चा करनी है तो नोटिस दीजिए, तब विाय उठाइये। मिश्र जी आप बैठ जाइये। आप पहले नोटिस दीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, गन्ने की समस्या उत्तर प्रदेश की अहम समस्या है।

अध्यक्ष महोदयः मैंने आपको परमिशन नहीं दी है। आप इस विाय पर चर्चा करवाने के लिए नोटिस दे सकते हैं। जीरो आवर में बोलने के लिए जिन सदस्यों ने नोटिस दिए हैं, मैं केवल उन्हें परमिशन दे सकता हूं।

â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपका विाय महाराट्र का है इसलिए मैं आपको बाद में बोलने की परमिशन दूंगा। इनका स्पैसिफिक इशू उत्तर प्रदेश का था और आपका महाराट्र का है।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह एडजर्नमैंट मोशन दिया था।

अध्यक्ष महोदयः मुझे मालूम है, इसलिए मैंने आपको बोलने की इजाजत दी है।